राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)

राष्ट्रीय लोकअदालत मुख्यालय नीमराना पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

वाद सख्या	रजू दिनांक	अन्तिम पर्चा डिक्री जारी दिनांक
230/2023	07.06.2023	13.07.2024

उनवान

1. बृजेश कपूर पुत्र इन्द्रजीत कपूर जाति खत्री निवासी एच.1/6 डी0एल0एफ0फेस–1गुडगांवा (हरि0)
2. मुकेश मलिक पुत्र राजीदास मलिक जाति अरोरा निवासी जे–42 साउथ सीटी–1 ग्राम सिलोखरा तहसील व जिला गुडगांवा (हरि0)
3. सुशील कुमार स्याल पुत्र गिरधारी लाल स्याल जाति खत्री निवासी विला नम्बर 12 गुडगांवा –1 सैक्टर 22

वादीगण

बनाम

1. शेरसिंह पुत्र रामकंवार जाति अहीर निवासी भगवाडी कलां तहसील बहरोड़ हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़।
2. राज0 सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार नीमराना हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़

.....प्रतिवादीगण

दावा तकसीम आराजी एंव हु0ई0दवामी।

–:अन्तिम पर्चा डिक्रीः–

वादीगण की ओर से श्री पीताम्बर अधिवक्ता की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 13.07.2024 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है ओर अन्तिम डिक्री दी जाती है किः–

वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में हाल आराजी ख0न0 31/60,32/0.58 है0 वाके ग्राम बटाना तहसील नीमराना हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ के बाबत् के वाद को अन्तिम डिकी किया जाता है। वाद शीर्षक एवं कुर्रेजात प्रस्ताव **प्रदर्श–अ** उक्त अन्तिम निर्णय एवं अन्तिम पर्चा डिकी के अभिन्न अंग रहेंगे। बैंक रहन की स्थिति में उभयपक्षकारांन को मिलने वाले हिस्से, रकबे, आराजी से बैंक ऋण राशि वसूलनीय रहेगी। उक्तानुसार ही उभयपक्षकारांन के खातेजात हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रथक–प्रथक कायम कर अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

13-07-2024

(पंकज बडगूजर)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधि(कोटपूतली–बहरोड़)

नीमराना

जिला कोटपूतली–बहरोड़(राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी – मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या 230/2023 | रजू दिनांक 07.06.2023 | प्रारंभिक निर्णय दिनांक 27.04.2023

अनवान

1. बृजेश कपूर पुत्र इन्द्रजीत कपूर जाति खत्री निवासी एच 1/6 डीएलएफ फेस नं0 01 गुडगांवा।
2. मुकेश मलिक पुत्र राजीदास जाति अरोरा निवासी जे.42 साउथ सिटी 01 ग्राम सिलोखरा तह0 व जिला गुडगांवा।
3. सुशील कुमार स्याल पुत्र [illegible]लाल स्याल जाति खत्री निवासी विला नं. 12 गुडगांवा 01 सैक्टर 22।

वादीगण।

बनाम

1. शेरसिंह पुत्र रामकवार जाति अहीर निवासी ग्राम भगवाडी कलां तह0 बहरोड।
2. राज0 सरकार जरिये लैण्ड रेकर्ड जरिये तहसीलदार नीमराना।

प्रतिवादीगण।

तकसीम एवं हु.इ.दवामी अंतर्गत
धारा 53, व 188 आर0टी0एक्ट0।

उपस्थितिः

1. श्री पीताम्बर एड. वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

::प्रारम्भिक निर्णय::–

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म तथ्य निम्न प्रकार से है–

1. वादीगण ने वाद पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 हाल 31/0.60, 32/0.58 वाके ग्राम बटाना तह0 नीमराना वादीगण एंव प्रतिवादी सं. 01 की सहखातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमे वादी सं. 01 व 02 का 1/3, 1/3 भाग है तथा वादी सं. 03 का 17/54 भाग व प्रति0 सं0 01 का 1/54 भाग है। आराजी विवादित का वास्ते काश्त सुविधा पक्षकारान मे बाहमी तौर से बंटवारा किया हुआ है जिसके अनुसार प्रतिवादी सं. 01 आ0ख0नं0 32 के उत्तरी–पूर्वी कोने पर काबिज है। तथा शेष हिस्से पर वादीगण काबिज काश्त है तथा इसी अनूसार प्रकार मौके पर मुताबिक बहामी बंटवारा अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है।
2. आराजी राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी मे पक्षकारान की सहखातेदारी मे दर्ज है इसलिए प्रतिवादी सं. 01 आराजी विवादित के अच्छे से अच्छे भाग को अपना बताकर दिगर लोगों को बेचान करने की फिराक मे है। तथा आज दिनांक 17.04.2023 को प्रतिवादी सं0 01 ने वादीगण को खुलेआम धमकी दी है कि वो आराजी विवादित के विशेष भू भाग को अपना बताकर जबरन वादीगण को बेदखल करके बेचान करेगा। जबकि आराजी विवादित को रिकॉर्ड मे बिना तकसीम कराये प्रतिवादी सं. 01 आराजी के विशेष भूभाग को बेचान करने का कोई कानूनी अधिकार नही है।
3. यह है कि यदि प्रति. सं. 01 अपने नापाक इरादो मे सफल हो गया तो वादीगण को अपूरणीय हानि होने की संभावना है.इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये हु0इ0दवामी पाबंद कराने के हकदार है।

उपखण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर)

4. यह है कि प्रतिवादी सं. 01 ने वादीगण को दिनांक 17.04.2023 को ऐलानिया धमकी दी है इसलिए वादीगण को दिनांक 17.04.2023 को ही बिनायदावी व बिनाय मुखासमत पैदा हुई है इसलिए वादीगण की ओर से वाद अन्दर मियाद पेश है।

5. अतः प्रार्थना है कि वाद वादीगण बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण बाद तहकीकात निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे :-

(क) डिक्री तकासमा आराजी बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण फरमाई जावे कि आराजी ख.नं. हाल 31/0.60,32/0.58 वाके ग्राम बटाना तह. नीमराना के मौके पर कब्जे काश्तानुसार कुर्रे कायम कराये जाकर बाद कुर्रेकायमी रिपोर्ट आराजी विवादित का पृथक-पृथक खाता व लगान कायम कराया जाकर हाल जमाबंदी व राजस्व नक्शा मे अंकन कराया जावे।

(ख) प्रतिवादी को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द फरमाया जावे की आराजी विवादित से वादीगण को कुल कार्य काश्तकारी में किसी प्रकार की रुकावट व मजाहमत पैदा ना करे तथा जब तक विधिवत रूप से बंटवारा ना हो तब तक दीगर लोगों को बेचान ना करे मौके की यथास्थिति बनाए रखे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(घ) अन्य अनुतोष जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे सादीर फरमाया जावे।

1. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। बाद तामिल प्रतिवादीगण न्यायालय हाजा मे उपस्थित नही हुऐ लिहाजा उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर वकील वादी की बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न नकल जमाबन्दी संवत 2076-79 के अवलोकन से साबित है कि आराजी विवादित पक्षकारान की शामलाती खातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है जिसके मौके पर कब्जे काश्त अनुसार कुर्रे कायम कराये जाकर कुर्रे कायमी रिपोर्ट लिया जाना उचित प्रतित होता है। वादी का वाद प्रा0डिक्री किये जाने योग्य है।

2. अतः आदेश है कि:— बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी एकपक्षीय
वाद वादीगण बहक वादीगण ... नायब तहसीलदार नीमराना को आदेश दिए जाते है कि वो
प्रा0डिक्री किया जाकर
आराजी ख.नं. हाल 31/0.60,32/0.58 वाके ग्राम बटाना तह. नीमराना के मौके
पर पक्षकारान की उपस्थिति मे कब्जे काश्तानुसार कुर्रे कायम कराये जाकर कुर्रे
कायमी रिपोर्ट न्यायालय हाजा मे नियत दिनांक 16.08.2023 से पूर्व भिजवाया जाना
सुनिश्चित करे। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार,नीमराना को भिजवाई जावे।
प्रारम्भिक पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली इंतजार कुर्रे कायमी रिपोर्ट मे दिनांक 16.
08.2023 को पेश हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

24/7/2023
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर,नीमराना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :- मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

वाद संख्या
230/2023

रजू दिनांक
07.06.2023

प्रारंभिक निर्णय दिनांक
27.04.2023

उन्वान

1. सुजेश कपूर पुत्र इन्द्रजीत कपूर जाति खत्री निवासी एच 1/6 डी०एल०एफ० फेस नं० 01 गुडगांवा।
2. मुकेश मलिक पुत्र राजीदास जाति अरोरा निवासी जे.42 साउथ सिटी 01 ग्राम सिलोखरा तह० व जिला गुडगांवा।
3. सुशील कुमार स्याल पुत्र गिरधारीलाल स्याल जाति खत्री निवासी विला नं. 12 गुडगांवा 01 सैक्टर 22।

वादीगण।

बनाम

1. शेरसिंह पुत्र रामकंवार जाति अहीर निवासी ग्राम भगवाडी कलां तह० बहरोड।
2. राज० सरकार जरिये लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना।

प्रतिवादीगण।

तकसीम एवं हु.इ.दवामी अंतर्गत
धारा 53, व 188 आर०टी०एक्ट०।

उपस्थितिः

1. श्री पीताम्बर एड. वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

प्रारंभिक पर्चा डिक्री

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी एकपक्षीय प्रा०डिक्री किया जाकर तहसीलदार नीमराना को आदेश दिए जाते है कि वो आराजी ख.नं. हाल 31/0.60,32/0.58 वाके ग्राम बटाना तह. नीमराना के मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति मे कब्जे काश्तानुसार कुरे कायम कराये जाकर कुर्रे कायमी रिपोर्ट न्यायालय हाजा मे नियत दिनांक 16.08.2023 से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार,नीमराना को भिजवाई जावे।

24/7/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)